

हद्वि उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में उत्तराधिकार मानदंड

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय, हद्वि उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, उत्तराधिकार कानून, वधि आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, वीरशैव, लगीयत, बरहम सभा, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, अनुसूचति जनजाति, अनुच्छेद 366, मतिाकषरा और दयाभागा शाखा ।

मुख्य परीक्षा के लिये:

लैंगिक समानता और महिलाओं से संबंधित मुद्दे

स्रोत: हद्विस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने **हद्वि उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (HSA)** के तहत उत्तराधिकार प्रावधानों को बनाए रखा, जिसमें उत्तराधिकार को **लैंगिक असमानता** के मामले के रूप में देखने के स्थान पर **सांस्कृतिक मानदंडों** के साथ-साथ वधियायी नरितरता पर बल दिया गया ।

- कई याचिकाओं में इन प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई, और साथ ही उत्तराधिकार के मामलों में पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार की मांग की गई ।

उत्तराधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय की टपिपणयिँ क्या हैं?

- लैंगिक न्याय के संदर्भ में नहीं:** सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि विवाह के बाद, एक महिला अपने पति के परिवार का हिस्सा बन जाती है, तथा उस परिवार में उत्तराधिकार के संबंध में उसके अधिकार भी समान हो जाते हैं ।
 - न्यायालय ने स्पष्ट कथिा कि **उत्तराधिकार कानून को केवल लैंगिक समानता के मुद्दे के रूप में नरिमति नहीं कथिा जाना चाहयि ।**
- सांस्कृतिक संदर्भ:** न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि हद्वि उत्तराधिकार संबंधी प्रथाएँ गहराई से नहििति सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतबिबिति करती हैं ।
 - पारंपरिक भावनाएँ प्रायः एक विवाहित महिला के माता-पति को उसके उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्तयिँ में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती हैं ।
- वैज्ञानिक और तरकसंगत वंशावली:** न्यायालय ने अधिनियम के "वैज्ञानिक एवं तरकसंगत" ढाँचे को बनाए रखा, जिसमें महिला द्वारा अपने माता-पति या ससुराल वालों से अरजति संपत्ति प्रत्यक्ष उत्तराधिकारयिँ की अनुपस्थिति में मूल परिवार को वापस कर दी जाती है, जिसमें पैतृक वंशावली-आधारित दृष्टिकोण को बनाए रखा जाता है ।
- वधियायी परिवर्तन की आवश्यकता:** न्यायालय ने दोहराया कि उत्तराधिकार कानूनों में संशोधन न्यायिक नरिणयों के स्थान पर वधियायी नकियासंसद द्वारा प्रस्तावति एवं अधिनियमति कथि जाने चाहयि ।
 - ऐसा इसलियि है क्योक उत्तराधिकार कानून संपूर्ण समाज को प्रभावति करते हैं, और कसिी भी परिवर्तन को कुछ व्यक्तयिँ या वशिषिट विवाद संबंधी चलिाओं से प्रभावति होने के स्थान पर **व्यापक सामाजिक सहमति और सामूहिक मूल्यों को प्रतबिबिति करना चाहयि ।**
- उत्तराधिकार की भूमिका:** न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि एक महिला **उत्तराधिकार के माध्यम से अपनी संपत्तिको** अपनी इच्छानुसार वतितरति करने के लयि स्वतंत्र है, तथा मौजूदा कानूनी मानदंडों के अंतरगत व्यक्तगत स्वायत्तता पर भी बल दिया गया ।
- वगित अनुशासः** हालाँकि, **174वें वधि आयोग (2000)** तथा **राष्ट्रीय महिला आयोग** सहति कुछ नकियायों द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लयि समान उत्तराधिकार अधिकारों की सफारिश की है, ये सुधार राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों के वचिरों पर नरिभर करते हैं ।

HSA, 1956 के अंतरगत बना वसीयत के उत्तराधिकार हेतु मुख्य प्रावधान क्या हैं?

- हद्वि महिलाओं के लयि:** यदकिसि हद्वि महिला की बना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति (जसिमें स्वयं अरजति संपत्ति भी शामिल है) प्राथमिक रूप से उसके **बच्चों और पति को वरिसत में मलति है ।**

- यदि पति या बच्चे मौजूद नहीं हैं तो संपत्तिपति के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाती है। केवल उन मामलों में जहाँ पति का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, संपत्ति महिला के माता-पिता या उनके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है।
- जब संपत्ति किसी स्रोत (जैसे माता-पिता, ससुराल वाले) से वरिष्ठत में मिलती है तो यदि महिला की मृत्यु बिना किसी परत्यक्ष उत्तराधिकारी के हो जाती है, तो वह उस मूल परिवार को वापस मिल जाती है।
- **हद्द पुरुषों के लिये:** जब किसी हद्द पुरुष की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसकी पत्नी, बच्चों और माँ के बीच बराबर-बराबर बाँट दी जाती है। अगर इनमें से कोई भी उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है, तो संपत्ति पति को मिल जाती है।

Legalese

According to the Hindu Succession Act (HSA), if a woman's property is self-acquired, her husband is no more, and she has no children, that property goes to the husband's heirs

IF A WOMAN DIES INTESTATE

Her self-acquired property


- She has children → Property goes to them
- No children → Property goes to the husband
- Husband passes away → Ownership is transferred to her mother-in-law

Inherited property

- She has children → Property goes to them
- No children → Ownership is transferred to the heirs of her father or mother

IF A MAN DIES INTESTATE

- His property → Mother, children and widow get equal shares
- Widowed wife remarries → She gives up her claim on her ex-husband's properties



हद्द उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 क्या है?

- **परिचय:** यह किसी हद्द व्यक्ति की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाने पर संपत्ति के वितरण हेतु वधिकि ढाँचा है।
 - इस अधिनियम के तहत मृतक के साथ व्यक्ति के संबंधों के आधार पर उत्तराधिकारियों, उनके अधिकारों एवं संपत्ति के वभाजन के निर्धारण के लिये नयिम निर्धारित किये गए हैं।
- **अधिनियम की प्रयोज्यता:**
 - हद्द धर्म के अनुसार **वीरशैव, लगियत, ब्रह्मोस, प्रार्थना समाज और आर्य समाज** के अनुयायी शामिल हैं।
 - यह अधिनियम **बौद्ध, सिख और जैन** धर्म पर लागू होगा।
 - वे व्यक्ति जो **मुसलिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं**, जब तक कयिह साबति न हो जाए कयिहद्द कानून या रीति-रिवाज़ उन पर लागू नहीं होते हैं, तब तक यह अधिनियम लागू होगा।
 - यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होगा लेकिन संवधान के **अनुच्छेद 366** के अनुसार यह **अनुसूचित जनजातियों** पर स्वतः लागू नहीं होता है, जब तक कयि केंद्र सरकार द्वारा इसे अधिसूचित न कर दिया जाए।

- **हद्वि वधिका शाखाएँ:** इससे संपत्तिका उत्तराधिकार एवं अंतरण की एक समान प्रणाली का निर्धारण होता है जो **मतिाक्षरा और दायभाग शाखाओं** पर समान रूप से लागू होती है।
 - मतिाक्षरा वधि पश्चिमि बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में लागू होती है जबकि दायभाग वधि पश्चिमि बंगाल और असम पर लागू होती है।
 - दायभाग वधि के तहत उत्तराधिकार का अधिकार **पूर्वजों की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है** जबकि मतिाक्षरा वधि में **जन्म से ही संपत्तिका अधिकार** प्रदान किया गया है।
 - दायभाग प्रणाली में **पुरुष और महिला**, परिवार के दोनों ही सदस्य सहदायक हो सकते हैं जबकि मतिाक्षरा प्रणाली में सहदायक अधिकार **केवल पुरुष सदस्यों तक ही सीमित है।**
 - सहदायक वह व्यक्ति होता है जो **जन्म से ही पैतृक संपत्तिका अधिकार** का दावा कर सकता है।
- **संपत्तिका वतिरण:**
 - **श्रेणी I के उत्तराधिकारी:** वधिवा को संपत्तिका एक हिस्सा मलिता है।
 - पुत्र, पुत्री और माँ सभी को **बराबर हिस्सा मलिता है।**
 - **श्रेणी II के उत्तराधिकारी:** यदि कोई श्रेणी I का उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है, तो संपत्तिका **समान रूप से वभिजति कया जाता है।**
 - **सगोत्रीय और सजातीय:** यदि कोई श्रेणी I या II का उत्तराधिकारी नहीं है, तो संपत्तिका **पैतृक रशितेदारों (सगोत्रीय) और अन्य रशितेदारों (सगोत्रीय) को हस्तांतरित हो जाती है।**
- **हद्वि उत्तराधिकार (संशोधन) अधनियम, 2005:** अधनियम की धारा 6 में **वर्ष 2005 में संशोधति** कया गया था और महिलाओं को वर्ष 2005 से संपत्तिका वभिजन के लयि सहदायक के रूप में मान्यता दी गई थी।

नोट:

- श्रेणी I के उत्तराधिकारियों में **पुत्र, पुत्री, वधिवा, माँ, पूर्व मृत बेटे का बेटा** और पूर्व मृत बेटे की बेटी आदि शामिल हैं।
- श्रेणी II के उत्तराधिकारियों में **पति, पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री, भाई, बहन** आदि शामिल हैं।

अन्य समुदायों में उत्तराधिकार कानून

- **मुसलमि:** यह **मुसलमि परसनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1973** द्वारा शासित है।
- **ईसाई, पारसी और यहूदी:** ईसाई, पारसी और यहूदियों के मामले में **भारतीय उत्तराधिकार अधनियम, 1925** लागू होता है।

नषिकर्ष

HSA के तहत उत्तराधिकार प्राधानों पर सर्वोच्च न्यायालय की टपिणयिँ **सांस्कृतिक परंपराओं और वंश-आधारित उत्तराधिकार पर ज़ोर देने वाले वधिधी ढाँचे** के बीच परस्पर क्रिया को उजागर करती है। न्यायालय ने हद्वि उत्तराधिकार कानूनों में लैंगिक न्याय और सामाजिक मूल्यों के महत्त्व पर ज़ोर दिया, साथ ही व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान करने और संभावित वधिधी सुधारों पर वधिार करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। **यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी कानून के उद्देश्य को केवल उस कठिनाई के कारण कम नहीं किया जा सकता है जो इससे हो सकती है।**

???????? ???? ????:

प्रश्न: हद्वि उत्तराधिकार अधनियम, 1956 के तहत उत्तराधिकार अधिकारों की जाँच कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????????????:

प्रश्न: प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में, नमिनलखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2021)

1. मतिाक्षरा उँची जातिका सविलि वधि थी और दायभाग नमिन जातिका सविलि वधि थी।
2. मतिाक्षरा व्यवस्था में, पुत्र अपने पति के जीवनकाल में ही संपत्तिका अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पति की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्तिका अधिकार का दावा कर सकते थे।
3. मतिाक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्तिका-संबंधी मामलों पर वधिार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों, दोनों के संपत्तिका-संबंधी मामलों पर वधिार करती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1 और 2

- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न: भारत में एक मध्यम-वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पतितंत्र (पेट्रिआरकी) किस प्रकार प्रभावित करता है? (2014)

प्रश्न: "यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और

प्रश्न: नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पतिसत्तात्मक रहा है।" महिला शिक्षा और महिला सशक्तीकरण की

प्रश्न: योजनाओं के अतिरिक्त कौन-से हस्तक्षेप इस परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/inheritance-norms-in-hindu-succession-act,-1956>

